उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
(A Government of U.P. Enterprise)
CIN: U40101UP1980SGC005065
0522-2218213

संख्याः 977 / मा0सं0प्र0–02 / उ0नि0लि0 / 2021–08 / मा0सं0प्र0–02 / उ0नि0लि0 / 2020 दिनाँकः 13 / 4 / 2021

मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II)
लखनऊ(मुख्यालय) / पनकी तापीय विद्युत परियोजना,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
लखनऊ / पनकी(कानपुर)।

महत्वपूर्ण

विषयः– सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड–19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–527 / सामान्य–4–2021–303 / 2020 दिनाँकः 09 अप्रैल 2021(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जनपद–लखनऊ एवं कानपुर नगर स्थित कार्यालयों / परियोजनाओं में समूह–'ख', समूह–'ग' एवं समूह–'घ' के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करें तथा उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

13/04/21

(मो0 तस्नीम)
मुख्य अभियन्ता(मा0सं0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (तकनीकी) / (वित्त) / (परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–I / II), परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई / तापीय परिचालन / ईंधन / पर्यावरण एवं सुरक्षा / जानपद / जानपद–नव परियोजनाएँ / वाणिज्य / आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः..........2/-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
(A Government of U.P. Enterprise)
CIN: U40101UP1980SGC005065
0522-2218213



6. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
9. अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, मा0सं0–01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ रिफॉर्म/ टाण्डा वाइण्डिंग सेल एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. जन सूचना अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट फाइल।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-527/सामान्य-4-2021-303/2020

लखनऊ:: दिनांक:: 09 अप्रैल 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालायों में कार्यरत समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालयों में उपस्थित हों और शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाय ।

1- सभी विभागाध्यक्ष एवं उक्त जनपदो के जिलाधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये कार्मिकों का रोस्टर तय किया जायेगा। इस संबंध में यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) सप्ताह में कार्यालय में आयें। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकेगा ।

3- यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

मुख्य सचिव।

संख्या-527/सामान्य-का-4-2021-303/2020(1),तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उ0प्र0।

3- जिलाधिकारी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी।

4- समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।

5- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार दूबे)
विशेष सचिव।